



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

कमांक एफ 701( )पंरावि/प्रशा.2/कनि.अभि./स्थाना.पद/18/पार्ट/3800 जयपुर, दिनांक 28/8/8

आदेश

निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ता को स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम एवं पद	कहां से	कहां को	वि.वि.
1	श्रीमती शैलजा भास्कर	पंचायत समिति सांभरलेक (जयपुर) से पंचायत समिति सायला (जालौर) स्थानान्तरणाधीन	पंचायत समिति गोविन्दगढ (जयपुर)	रिक्त पद पर

उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ता वर्तमान पदस्थापन स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना संबंधित विकास अधिकारी के माध्यम से भिजवायेगें। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

(दिनेश कुमार जांगिड)

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, ग्राविपरा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय, पंचायती राज विभाग।
4. जिला कलक्टर, जयपुर/जालौर।
5. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर/जालौर।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांभरलेक (जयपुर)/ सायला (जालौर)/ गोविन्दगढ (जयपुर)।
7. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्रीमती शैलजा भास्कर, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति सांभरलेक (जयपुर) को पालनार्थ।
9. निजी./आरक्षी पत्रावली।

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त